पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में पत्र लिखा

लखनऊः 11 जून, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डा0 डी0वाई0 चन्द्रचूड़, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, श्री स्वामी प्रसाद मौर्या, नेता विपक्ष तथा लोकायुक्त (अवकाश प्राप्त) न्यायमूर्ति श्री एन0के0 मेहरोत्रा को अलग-अलग पत्र लिखकर अपेक्षा की है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24 अप्रैल, 2014 के तहत पारित आदेश के अनुपालन में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त के पदों पर नई नियुक्ति शीघ्र किये जाने हेतु उक्त अधिनियम के प्राविधान के अनुसार अपने-अपने स्तर से अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करें। ज्ञातव्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 24 अप्रैल, 2014 को छः माह के अन्दर नई नियुक्ति किये जाने का आदेश पारित किया था।

श्री नाईक ने अपने पत्र में कहा कि लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के उपरान्त भी नयी नियुक्तियों हेतु अभी तक उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार संस्तुतियां प्राप्त नहीं होना चिन्ता का विषय है। उल्लेखनीय है कि उक्त के संबंध में राज्यपाल सचिवालय द्वारा 17 मार्च, 2015 को पत्र के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किये जाने के लिये कहा गया था।